कार्यालय अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं . :–07652.243000
फैक्स नं . :–07652.243222
ई.मेल :– deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :–www.bmgmc.edu.in

क्रमांक / 2525 / स्था. / राज. / एम.सी. / 2026 **शहडोल, दिनांक 13/05/2026**

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–06 / 2018 / 1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" के अंतर्गत बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन **चिकित्सकीय संवर्ग (आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी)** के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चाँपा, शहडोल (म0प्र0), पिन–484001 **में दिनांक 29.05.2026 दिन – शुक्रवार, सायं 05:00 बजे** तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) की अधिकृत वेबसाइट www.bmgmc.edu.in एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल की अधिकृत वेबसाइटWWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.INपर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चाँपा, शहडोल (म0प्र), पिन–484001 में जमा कराये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के साथ **अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार राशि रू. 500/– तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार राशि रू. 250/– संस्था के नाम :–New Govt. Medical College Shahdol Autonomous Societyखाता क्रमांक :–3687727001 ,IFSC Code :- CBIN0280787बैंक का नाम :–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.)**का **डिमांड ड्राफ्ट,** आवश्यक रूप से संलग्न करें। जिन आवेदन पत्रों में डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं होगा उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए जाने अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चाँपा, शहडोल (म0प्र0) में **चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम ....और आरक्षित/अनारक्षित ....श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।** किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन में पात्र अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

क्रमशः पेज 02 पर

Scanned with CamScanner

1. रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क.	पद का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	08	3+1F	1	1	2	-
2	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	-	-	01F	-	-

- उपरोक्त चयनित पदों में SC = अनुसूचित जाति ST = अनुसूचित जनजाति OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु एवं EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है।
- विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी, शर्तें, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. की वेबसाइट WWW.BMGMC.EDU.IN पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।

2. <u>वेतनमान, न्यूनतम आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं संबंधी विवरण :–</u>

स.क.	पद का नाम	वेतनमान	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताये	सेवा निवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी	Level – 12 मैट्रिक्स वेतन–56,100/- (6वें वेतनमान15600 – 39100 +ग्रेड पे5400के अनुरूप)	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	65 वर्ष

❖ **चिकित्सक का म.प्र. मेडिकल कॉउन्सिल से स्थाई पंजीयन अनिवार्य है।**

3. <u>आर्हताएं एवं शर्ते :–</u>
   1. कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारां परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
   2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।
   3. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
   4. आवेदक की अधिकतम आयु म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार होगी।
   5. आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
   6. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदशों के अनुसार होगा।
   7. जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
   8. शासकीय/स्वशासी संस्था में सेवारत आवेदक को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ–साथ साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त के अभाव में आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

4. <u>निरर्हतायें :–</u>
   - विकृत्त चित्त वाला होने पर।
   - दुश्चरित्र होने पर।
   - शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

क्रमशः पेज 03 पर

Scanned with CamScanner

- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा**–किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एंव महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- **कूट रचित/फर्जी दस्तावेज** एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- **कदाचरण संबंधी**– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी** – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5. उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर की जावेगी।
6. उक्त नियुक्तियां म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के आधीन होगी।
7. **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :**–कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म0प्र0) पिन :– 484001 हेतु **आवेदन पत्र 29.05.2026 दिन– शुकवार सायं 05:00 बजे** तक प्राप्त हो जाने चाहिए। **आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं।**
8. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता,बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम ....और आरक्षित/अनारक्षित ....श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पोस्टल डिले के लिए अभ्यार्थी स्वयं जवाबदार होंगे।
9. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल मध्यप्रदेश की अधिकृत वेबसाइwww.bmgmc.edu.inएवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट MEDICALEDUCATION.MP.GOV.INपर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :–

1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें।
2. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
3. आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा–पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
4. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई त्रृटि या लिपिकीय त्रृटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(अध्यक्ष, कार्यकारिणी स्वशासी समिति, बि.मु.शा.चि.म.शहडोल द्वारा अनुमोदित)

स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कमशः पेज 04 पर

Scanned with CamScanner

2526-2530

पृ.कमांक/............../स्था./राज./एम.सी./2026 शहडोल, दिनांक 13/05/2026

प्रतिलिपि :– की ओर सूचनार्थ।

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
3. अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, स्थानीय कार्यालय, की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner